

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख : 2018

अधिसूचना

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, नई दिल्ली (समूह 'ग' व 'घ' पद), प्रयोगशाला सहायक, भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया जा चूका है या करने का लोप किया गया है, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, नई दिल्ली में प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, नई दिल्ली, प्रयोगशाला सहायक, (ग्रुप 'ग') भर्ती नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अहताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद नाम	का पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर	मैट्रिक्स में चयन अथवा अचयन पद	पद सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रयोगशाला सहायक	03* (2018)	साधारण केन्द्रीय सेवा, वेतन मैट्रिक्स में समूह 'ग', अराजपत्रित, स्तर-3 अनुसंचिवीय	साधारण केन्द्रीय सेवा, वेतन मैट्रिक्स में समूह 'ग', अराजपत्रित, स्तर-3 अनुसंचिवीय (21700-69100 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के मध्य (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदर्शों और आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथित की जा सकती है)

टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी तथा नाकि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अङ्गमान व निकोबार द्वीपसमूह या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं।

(7)

अनिवार्य

- i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में 12वीं कक्षा पास या उसके समकक्ष।
- ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य सांविधिक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।

वांछनीय: नियमित प्रयोगशाला परीक्षणों का संचालन करने में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पणि -1. अनुभव संबंधी अहताएं अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

टिप्पणि- 2. अहताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के परिवीक्षा की लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताएं अवधि, यदि कोई प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या हो।
नहीं

(8)

लागू नहीं होता

दो वर्ष

(9)

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिकितयों की प्रतिशतता ।

(10)

सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।

(11)

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

(12)

समूह 'ग' पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण हेतु विचार करने के लिए) समिति है-

1. निदेशक, आरएचटीसी, नजफगढ़ - अध्यक्ष
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में संबंधित उप निदेशक - सदस्य
3. प्रशासनिक अधिकारी, आरएचटीसी, नजफगढ़ - अध्यक्ष

भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

(13)

लागू नहीं

(ए.12018/18/2015- एम एच II)

अवर सचिव (मनोज कुमार सिंह)
MANOJ KUMAR SINGH

लोक सेवा अधिकारी
Under Secretary
Ministry of Health & F.W.
भारत सरकार (Govt. of India)
निम्रलिखित
निम्रलिखित